



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112023-249845
CG-DL-E-04112023-249845

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 739]
No. 739]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 31, 2023/कार्तिक 9, 1945
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 31, 2023/KARTIKA 9, 1945

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्टूबर, 2023

फा.सं.बीईई/एसएंडएल/डब्ल्यूएम/06/22-23.—ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उपधारा (1) के अधीन यथाअपेक्षित प्रारूप विनियम अर्थात् ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाशिंग मशीन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023” को भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 3, खंड IV में अधिसूचना सं. बीईई/एसएंडएल/ डब्ल्यूएम/06/22-23, तारीख 23 जनवरी, द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना थी उक्त अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त प्रारूप विनियमों की प्रतियां जनता को 23 जनवरी, 2023 को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में उपर्युक्त अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव प्राप्त हुए हैं।

और इस संबंध में प्राप्त सुझावों पर विचार कर लिया गया है।

अतः अब, ब्यूरो, केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 13 की उपधारा (2) के खंड (ढ) और धारा 14 के खंड (घ) के साथ पठित धारा 58 की उपधारा (2) के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाशिंग मशीन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति), विनियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषा:- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है;

(ख) "प्ररूप" से इन विनियमों के साथ कोई प्ररूप अभिप्रेत है;

(ग) "लेबल" से किसी भी लिखित, मुद्रित, चिह्नित, मुद्रांकित या रेखा चित्रीय सामग्री अभिप्रेत है जो वाशिंग मशीन पर चिपकाई गई है या उस पर दिखाई दे रही है;

(घ) "लेबल अवधि" से अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा निष्पादन मानकों के अधीन प्रति चक्र ऊर्जा उपभोग प्रति किलोग्राम की विधिमान्यता अवधि अभिप्रेत है:

परंतु यदि लेबल विधिमान्यता अवधि की समाप्ति की समय-सीमा तक, अधिनियम की धारा 14(क) के अधीन नए विद्युत मानकों को अधिसूचित नहीं किया जाता है, विद्यमान मानकों को तब तक विधिमान्य समझा जाएगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिए नए मान अधिसूचित नहीं किए जाते;

(ङ.) "अनुज्ञापत्रधारी" से एक व्यक्ति या अभिकरण अभिप्रेत है जिसे विनियम 7 के अधीन लेबल चिपकाने की अनुज्ञा दी गई है;

(च) "अनुसूची" से इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(छ) "स्टार रेटिंग या स्टार स्तर" से अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित प्रति चक्र ऊर्जा उपभोग के आधार पर वाशिंग मशीन के लेबल पर संप्रदर्शित ऊर्जा दक्षता का ग्रेड है। एक स्टार के अंतराल में उपलब्ध स्टार कम से कम एक और अधिकतम पांच के मध्य अभिप्रेत है।

(ज) किसी वाशिंग मशीन के बावत "व्यापारी या विक्रेता" से एक ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो वाशिंग मशीन को बेचता या वितरित करता है और इसमें दुकानदार, व्यापारी, निर्माता और अनुज्ञापत्रधारी सम्मिलित हैं जिन्हें ऐसी वाशिंग मशीन पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा दी गई है।

(झ) "वाशिंग मशीन" से अधिनियम की धारा 14 के खंड (ख) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट एक उपकरण अभिप्रेत है;

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. लेबल पर संप्रदर्शित की जाने वाली विशिष्टियां- (1) प्रत्येक वाशिंग मशीन पर निम्नलिखित विशिष्टियां उसके लेबल पर संप्रदर्शित की जाएंगी अर्थात्:-

(क) स्टार स्तर;

(ख) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का लोगो;

(ग) साधित्र का नाम;

(घ) वाशिंग मशीन का प्रकार;

(ङ.) ब्रांड या बनाना;

(च) मॉडल और विनिर्माण या आयात वर्ष;

(छ) भार क्षमता;

(ज) पानी का उपभोग;

(झ) यूनिफ लेबल श्रृंखला कोड; और

(ञ) लेबल अवधि.

(2) लेबल का डिज़ाइन, रंग, आकार और विषय-वस्तु इन विनियमों से उपाबद्ध अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट होगी।

4. लेबल संप्रदर्शित करने की समय-सीमा —

- (1) स्वैच्छिक से अनिवार्य व्यवस्था तक पारगमन - विनियम 3 में विनिर्दिष्ट सभी विशिष्टियों वाला एक लेबल इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर प्रत्येक वाशिंग मशीन पर सभी विवरणों वाला एक लेबल संप्रदर्शित किया जाएगा।
- (2) अनिवार्य ऊर्जा निष्पादन मानकों का पुनरीक्षण- अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पुनरीक्षित विद्युत निष्पादन मानकों के प्रारंभ होने पर, प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी या व्यापारी या विक्रेता-
- (क) वाशिंग मशीन का उत्पादन पिछले ऊर्जा निष्पादन मानकों के अनुसार नहीं करेगा;
- (ख) पुनरीक्षित ऊर्जा निष्पादन मानकों के साथ तुल्यकालन करते हुए पुनरीक्षित स्टार स्तर और लेबल अवधि और वाशिंग मशीन का विनिर्माण वर्ष संप्रदर्शित किया जाएगा; परन्तु सुचारू पारगमन के लिए विनिर्माता पुनरीक्षित ऊर्जा निष्पादन मानकों के साथ ऐसे प्रारंभ की तारीख से दो मास या उससे पहले उत्पाद का उत्पादन या आयात करेगा।
- (ग) व्यवहारियों, खुदरा व्याहारीयों की जागरूकता, उनकी शिक्षा के साथ साथ उपभोक्ताओं की शिक्षा के लिए अपेक्षित प्रचार सहित प्रारंभिक कदम सुनियोजित हों और कार्रवाई तीन मास पहले की जाए।

5. लेबल संप्रदर्शित करने की रीति -

- (1) बिक्री के स्थान पर प्रत्येक वाशिंग मशीन पर निम्नलिखित रीति से लेबल चिपकाया जाएगा अर्थात्: -
- (क) लेबल प्रत्येक साधित्र के सामने की ओर मजबूती से चस्पा होना चाहिए और जैसा कि विनियम 3 के उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट है, लेबल आसानी से दिखाई देना चाहिए और अनुज्ञापत्रधारी यह सुनिश्चित करेगा कि लेबल प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत यूनिट या मॉडल पर बिक्री के समय दिखाई दे और लेबल को यूनिट या मॉडल के पैकेजिंग बॉक्स पर मुद्रित या चस्पा किया जाएगा; और
- (ख) लेबल स्वयं चिपकाने वाली सामग्री का होगा। अनुसूची द्वारा अपेक्षित अंकन, सुपाठ्य, अमिट और टिकाऊ होगी।
- (2) जो यूनिट प्रदर्शन के लिए नहीं हैं, उन पर भी लेबल को मुद्रित या आवरण के बाहरी हिस्से पर चिपकाया जाए और यह लेबल यूनिट या मॉडल से जुड़ा होना चाहिए, जब यूनिट या मॉडल को इसकी पैकेजिंग से हटाया जाएगा या लेबल को ग्राहक या उपयोगकर्ता को दिए गए दस्तावेज का एक हिस्से के रूप में सम्मिलित किया जाएगा।

6. लेबल संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा - (1) ब्यूरो से पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किए बिना किसी वाशिंग मशीन पर कोई स्टार लेबल नहीं लगाया जाएगा।

- (2) कंपनी रजिस्ट्रीकरण - ब्यूरो की अनुज्ञा प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक ब्रांड प्ररूप 1 - (क) में यथानिर्दिष्ट प्रथक रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा, जिसमें एक लाख रुपए की लेबल प्रतिभूति फीस होगी, जो संदाय के किसी भी स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय है:

परन्तु लघु उद्योग के मामले में लेबल प्रतिभूति फीस केवल पच्चीस हजार रुपए होगी;

- (3) मॉडल रजिस्ट्रीकरण- उप-विनियम (2) के अधीन अनुज्ञा के प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित होंगे -

(क) प्रति मॉडल दो हजार रुपए की आवेदन फीस, जो संदाय के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय है; और

(ख) संदाय के इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय एक लाख रुपए की लेबल सुरक्षा फीस:

परन्तु लघु उद्योग के मामले में लेबल सुरक्षा फीस केवल पच्चीस हजार रुपए होगी; और

(ग) प्ररूप-1 - (ख) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज।

7. अनुज्ञा प्रदान करना. - (1) विनियम 6 के अधीन एक आवेदन प्राप्त होने पर और समाधान होने के पश्चात् की सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, ब्यूरो, घरेलू उपकरणों में स्टार लेबलिंग का प्रसार अपने मैनुअल दिशा (ब्यूरो का मानकों और लेबलिंग पर परिचालन मैनुअल) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कर सकेगा। ऐसी प्राप्ति, पर अनुदान की तारीख, विनियम 8 में यथानिर्दिष्ट ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन,-

- (क) ब्रांड को प्ररूप 2- (क) या इलेक्ट्रॉनिक रूप में रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा; तथा

(ख) प्ररूप 2- (ख) या इलेक्ट्रॉनिक रूप में वाशिंग मशीन पर लेबल लगाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकेगा।

(2) ब्यूरो प्ररूप 3 में विनिर्दिष्ट एक रजिस्टर बनायेगा और उसमें अनुज्ञापत्रधारी का नाम दर्ज करेगा।

(3) उपविनियम (1) के अधीन दी गई अनुज्ञा उस अवधि के लिए विधिमान्य होगी, जिसके लिए धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित विद्युत उपभोग मानक द्वारा विनिर्दिष्ट स्टार स्तर प्रवृत्त है।

(4) स्टार रेटिंग योजना के पुनरीक्षण के मामले में, अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए आवेदन अनुज्ञापत्रधारी द्वारा एक मास के लिए किया जाएगा किंतु इसकी समाप्ति के पहले नहीं किया जाएगा और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में इलेक्ट्रॉनिक मोड में एक हजार रुपए की फीस के साथ देय होगा।

परन्तु, स्टार रेटिंग योजना के विस्तार के मामले में, एक हजार रुपए की उक्त नवीनीकरण फीस से छूट दी जाएगी।

(5) विधिमान्यता अवधि की समाप्ति के पश्चात् किसी भी आवेदन का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा, ऐसी स्थिति में अनुज्ञापत्रधारी नया आवेदन करेगा।

(6) उपविनियम (4) के अधीन नवीनीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने पर और समाधान होने के पश्चात् कि सभी अनिवार्यताओं का अनुपालन किया जाता है, ब्यूरो, ऐसी प्राप्ति की तारीख से एक मास की अवधि के भीतर, प्ररूप 2 - (ख) में अनुज्ञा का नवीनीकरण कर सकेगा।

(7) ऐसा अनुज्ञापत्रधारी जो उस तारीख से वाशिंग मशीन के विद्यमान मॉडल पर लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा चाहता है, जिस तारीख से पुनरीक्षित स्टार स्तर प्रवृत्त होता है, वह प्ररूप IV के अनुसार घोषणा प्रस्तुत करेगा;

(8) अनुज्ञापत्रधारी नए सिरे से लेबल लगाने के लिए अनुज्ञा लेने का प्रयास करेगा, यदि वाशिंग मशीन के नए मॉडल पुनरीक्षित स्टार स्तर के साथ तुल्यकालन किया जाना है, और ऐसी अनुज्ञा के लिए आवेदन पुनरीक्षित स्टार स्तर के प्रवृत्त होने के छह मास पहले किया जाएगा।

8. लेबल पर विशिष्टियों को संप्रदर्शित करने के लिए निबंधन और शर्तें:- प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, विक्रेता या व्यापारी लेबल पर विशिष्टियां संप्रदर्शित करने में निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा, अर्थात्: -

(क) वाशिंग मशीन के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार लेबल अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित ऊर्जा उपभोग मानकों के अनुरूप होगा;

(ख) लेबल केवल वाशिंग मशीन के ऐसे मॉडल पर चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है;

(ग) अनुज्ञापत्रधारी अपनी लागत पर लेबल को वाशिंग मशीन पर चिपकाएगा;

(घ) वाशिंग मशीन के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार लेबल सभी समय अनुरक्षित रखा जाएगा;

(ङ.) विनियम 9 में यथाविनिर्दिष्ट लेबल फीस का संदाय करेगा;

(च) लेबलीकृत उपस्कर के उत्पादन के ब्यौरों से अंतर्विष्ट विशिष्टियां और वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के आगामी समापन मास के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए देय उद्भूत फीस ब्यूरो को प्रस्तुत की जाएगी;

(छ) प्रत्येक वर्ष अप्रैल मास के 30वें दिन तक अपने लेबल वाले उत्पादों के विक्रय के लिए नियुक्त प्राधिकृत वितरकों, ब्यौहारियों, खुदरा ब्यौहारियों और विक्रेताओं की एक अद्यतन सूची ब्यूरो को प्रस्तुत की जाएगी; और

(ज) ऐसे अन्य निबंधनों और शर्तों का अनुपालन किया जाएगा जिन्हें ब्यूरो घरेलू उपकरणों के लिए जारी मानकों और लेबलिंग पर ब्यूरो के प्रचालन मैनुअल में निहित निबंधनों सहित विनिर्दिष्ट करेगा।

9. लेबल फीस: - (1) प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो को वाशिंग मशीन पर इस प्रकार चिपकाए गए लेबल पर तीस रुपए लेबल फीस का संदाय करेगा।

(2) उपविनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट लेबल फीस प्रत्येक वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख से एक मास के भीतर वार्षिक रूप से संदाय की जाएगी:

परन्तु इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस का संदाय करने में विफल रहने पर विनियम 6 के उपविनियम (3) के खंड (ख) के अधीन ब्यूरो लेबल प्रतिभूति फीस उस पर दस प्रतिशत की दर से ब्याज सहित संदत्त शोध रकम वसूल कर सकेगा और यदि संदाय की अंतिम तारीख के एक वर्ष के भीतर लेबलिंग फीस की कुल रकम की

वसूली नहीं की जाती है, तो ब्यूरो अनुज्ञापत्रधारी को दिए गए सभी लेबलों को रद्द कर सकेगा और समाचार पत्रों में व्यतिक्रम के रूप में अनुज्ञापत्रधारी का नाम प्रकाशित कर सकेगा।

10. लेबल प्रतिभूति फीस का प्रतिदायः - विनियम 9 के उपविनियम (2) के परंतुक के अधीन, अनुज्ञापत्रधारी वाशिंग मशीन का विनिर्माण बंद करने पर लेबल प्रतिभूति फीस के संदाय का हकदार होगा।

11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन- (1) ब्यूरो या इसके अभिहित अभिकरण या तो स्वतः या इनके द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर, यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन कर सकेगा कि वाशिंग मशीन स्टार स्तर और इसके लेबल पर संप्रदर्शित अन्य विवरणों के अनुरूप है और यह अनुज्ञा के अन्य निबंधनों और शर्तों का अनुपालन करती है।

(2) सभी परीक्षणों में धुलाई निष्पादन, खंगालने का निष्पादन, ऊर्जा उपभोग, पानी का उपभोग और जल निष्कर्षण निष्पादन (अवशिष्ट जल सामग्री) सम्मिलित हैं।

(3) सत्यापन के प्रयोजन के लिए, ब्यूरो या उसके अभिहित अभिकरण द्वारा, जैसा वह उचित समझे, यादृच्छिक रूप से विनिर्माण सुविधा, गोदाम या रिटेल आउटलेट से नमूने लिए जाएंगे।

(4) उपविनियम (1) के अधीन शिकायत मिलने पर ब्यूरो राष्ट्रीय परीक्षण और अंशाकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त किसी स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशाला में वाशिंग मशीन की चुनौती जांच कराएगा, -

(क) ब्यूरो इस तरह के परीक्षण करने के लिए प्ररूप 5 में अनुज्ञापत्रधारी को नोटिस जारी करेगा और शिकायतकर्ता को, नमूना लागत, परीक्षण, परिवहन और ब्यूरो के साथ अन्य प्रासंगिक खर्चों से संबंधित ऐसे खर्च, ऐसे समय के भीतर, जैसा कि ब्यूरो द्वारा रेटिड किया जा सकता है, जमा करने के लिए कहा जाएगा।

(ख) यदि चुनौती परीक्षण के अधीन लिया गया नमूना विफल हो जाता है तो नमूने की लागत, नमूने के परिवहन और परीक्षण फीस के सभी खर्चों की प्रतिपूर्ति अनुज्ञापत्रधारी द्वारा ब्यूरो को की जाएगी और ब्यूरो शिकायतकर्ता को पूर्वोक्त खर्च वापस कर देगा; और

(ग) जहां उपकरण चुनौती परीक्षण में सफल हो जाता है तो शिकायतकर्ता द्वारा जमा किए गए खर्च को जब्त कर लिया जाएगा।

(5) जहां, उप-विनियम (1) के अधीन प्राप्त शिकायत पर, यदि अनुज्ञापत्रधारी उप-विनियम (3) में विनिर्दिष्ट इस तरह के खर्च को ऐसे समय के भीतर जमा करने में असफल रहता है तो ब्यूरो-

(क) उप-विनियम (3) में संदर्भित वाशिंग मशीन के सत्यापन को चुनौती परीक्षण द्वारा जारी रखेगा; और

(ख) विनियम 6 के अधीन प्राप्त आवेदन की प्रक्रिया को तब तक स्थगित रखा जाएगा जब तक कि इस तरह के व्यय को जमा नहीं कर देता।

(6) यदि चेक परीक्षण के लिए चुना गया वाशिंग मशीन का नमूना चेक परीक्षण या चुनौती परीक्षण के दौरान असफल हो जाता है, तो अनुज्ञापत्रधारी को दूसरे चेक परीक्षण के लिए एक और अवसर दिया जाएगा और स्वतंत्र परीक्षण में, पहले परीक्षण में उपयोग की गई वाशिंग मशीन की दोगुनी मात्रा के साथ दूसरा परीक्षण अनुज्ञापत्रधारी की लागत पर उस प्रयोगशाला में करेगा जो उस प्रयोगशाला से अलग हो जहां पहला जांच परीक्षण किया गया था और जो परीक्षण और जांच प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा विधिवत मान्यता प्राप्त होगी। ब्यूरो उप-विनियम (3) में संदर्भित चुनौती परीक्षण या उप-विनियम (4) में संदर्भित दूसरे परीक्षण और नमूने की खरीद और परीक्षण के लिए किए जाने वाले खर्चों को देखने के लिए प्ररूप 5 में अनुज्ञापत्रधारी को सूचित करेगा।

(7) यदि दूसरा परीक्षण असफल हो जाता है, ब्यूरो, -

(क) सभी राज्य अभिहित अभिकरणों को सूचना के अधीन प्ररूप 6 में अनुज्ञापत्रधारी को निदेश देगा कि अनुज्ञापत्रधारी दो मास की अवधि के भीतर, -

- (i) वाशिंग मशीन के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार स्तर में सुधार करेगा या परीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियों और कमियों को दूर करेगा;
- (ii) ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस लेगा; और
- (iii) विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियों में परिवर्तन करेगा;

(ख) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, किसी भी राष्ट्रीय या प्रादेशिक दैनिक समाचार पत्र में किसी भी अनुज्ञापत्रधारी, ब्रांड नाम, मॉडल नाम या मॉडल नंबर, लोगो और अन्य विनिदेश का नाम और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य रीति से प्रकाशित करेगा, जो वह दो मास के भीतर ठीक समझे;

(ग) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो संबंधित राज्य अभिहित अभिकरण को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के विरुद्ध न्यायनिर्णयन कार्रवाई शुरू करने के लिए सूचित करेगा।

(8) अनुज्ञापत्रधारी उप-विनियम (7) में विनिर्दिष्ट दो मास की अवधि के समापन के दस दिनों के भीतर -

- (क) निदेश के अनुपालन में की गई कार्रवाई के संबंध में प्ररूप VII में अनुपालन रिपोर्ट ब्यूरो को भेजेगा; और
- (ख) यदि खंड (क) में विनिर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी निदेश का अनुपालन किए बिना प्राप्त होती है या प्राप्त नहीं होती है तो इसे जारी किए गए निदेश का अनुपालन नहीं माना जाएगा और इस आशय के आदेश ब्यूरो द्वारा पारित किया जाएगा।

(9) ब्यूरो उप-विनियम (8) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट की एक प्रति और उप-विनियम (8) के खंड (ख) में पारित आदेश, आवश्यक दस्तावेजों के साथ सभी राज्य अभिहित अभिकरणों को, अधिनियम की धारा 17 के अधीन कार्रवाई करने और उक्त उप-विनियम के खंड (ख) के अधीन पारित आदेशों का प्रवर्तन के उद्देश्य से भेजेगा।

(10) यदि अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो द्वारा उप-विनियम (7) के अधीन जारी किए गए निदेशों का पालन करने में असफल रहता है, ब्यूरो सभी राज्य अभिहित अभिकरणों को सूचना के अधीन -

- (क) विनियम 7 के उप-विनियम (1) के अधीन अनुज्ञापत्रधारी को दी गई अनुज्ञा को वापस लेगा;
- (ख) अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा निष्पादन मानकों के अनुरूप करने के लिए अनुज्ञापत्रधारी द्वारा विफलता के समर्थन में परीक्षण रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट भेजे। केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खंड (ग) के अधीन विचार करने और कार्रवाई करने हेतु उप-विनियम (8) के खंड (क) के बारे में ब्यूरो के निदेश देखें;
- (ग) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, किसी भी राष्ट्रीय या प्रादेशिक दैनिक समाचार पत्र में किसी भी अनुज्ञापत्रधारी, ब्रांड नाम, मॉडल नाम या मॉडल नंबर, लोगो और अन्य विनिदेश का नाम और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य रीति से प्रकाशित करेगा, जो वह दो मास के भीतर ठीक समझे;
- (घ) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो संबंधित राज्य अभिहित अभिकरण को ऊर्जा संरक्षण अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के विरुद्ध न्यायनिर्णयन कार्रवाई शुरू करने के लिए सूचित करेगा।

12. अनुज्ञा का रद्दकरण : - ब्यूरो विनियम 7 के अधीन दी गई अनुज्ञा को रद्द करेगा, यदि अनुज्ञापत्रधारी-

- (क) विनियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी निबंधन और शर्तों का अनुपालन करने में असफल रहता है;
- (ख) विनियम 9 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस का संदाय करने में असफल रहता है;
- (ग) विनियम 11 के अधीन जारी निदेशों का पालन करने में असफल रहता है।

परंतु कोई भी अनुज्ञा अनुज्ञापत्रधारी को सुनवाई का अवसर दिए बिना रद्द नहीं की जाएगी।

अभय बाकरे, महानिदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./521/2023-24]

प्ररूप 1-(क)

[विनियम 6 का उपविनियम (2) देखें]

(कंपनी के नामा-शीर्ष पर मुद्रित किया जाना है)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाशिंग मशीन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के अधीन
वाशिंग मशीन के ब्रांड के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर-I, आर.के. पुरम, नई दिल्ली - 110 066 भारत

1. मैं/हम जो वाशिंग मशीन के विनिर्माणकर्ता हूँ/हैं में (कारोबार का पूरा नाम) अभिनाम से (व्यष्टि या फर्म का पूरा नाम) कारोबार चला रहा हूँ / चल रहे हैं इसके ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाशिंग मशीन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 में ब्यूरो द्वारा यथा विनिर्दिष्ट वाशिंग मशीन पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हूँ / करते हैं।
2. उपस्कर, कंपनी, विनिर्माण सुविधा और संदाय के बाबत जानकारी के विशिष्टियां उपाबंध में दिए गए हैं। फर्मों या सोसाइटियों के रजिस्ट्रार या उद्योग निदेशक (लघु उद्योग इकाइयों की दशा में) द्वारा जारी किए गए निगमन प्रमाण पत्र या फर्म के नाम तथा उसके विनिर्माणकारी परिसरों को अधिप्रमाणित करने वाले उसी प्रकार के अन्य दस्तावेजों की एक फोटोप्रति संलग्न की जाती है।
 - (क) आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति:को (नाम और पदनाम) कंपनी/फर्म या अन्य प्राधिकरणों की ओर से इस आवेदन को करने के लिए प्राधिकृत किया जाता है और वह इस आवेदन में दी गई जानकारी की सत्यता के लिए उत्तरदायी होगा।
 - (ख) संपर्क व्यक्तिको (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के बाबत ब्यूरो के साथ समन्वय के लिए संपर्क व्यक्ति प्राधिकृत किया जाता है।
 - (ग) मैं/हम उपरोक्त (क) या (ख) में परिभाषित प्राधिकृत व्यक्तियों में किसी भी परिवर्तन को जैसे ही यह होता है, ब्यूरो को संसूचित करने का वचन देता हूँ/देते हैं।
3. उक्त उपस्कर के उत्पादन और विक्रय के आंकड़े तथा उनका मूल्य मेरी/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, और प्राक्कलन निम्न प्रकार से है:

वर्ष	उत्पादन	विक्रय	उपस्कर का अधिकतम खुदरा मूल्य (रु.)
पिछले वर्ष..... से.....तक चालू वर्ष से.....तक (प्राक्कलन)			

4. यथास्थिति, एक लाख रुपए या पच्चीस हजार रुपए की लेबल प्रतिभूति फीस, इलेक्ट्रॉनिक मोड बीजक संख्या तारीख द्वारा संदत्त किया गया है।
(केवल लेबल प्रतिभूति फीस जमा करने के समय ही भरा जाना है)।
5. मैं/हम ब्यूरो द्वारा यथाविनिर्दिष्ट लेबलिंग फीस का संदाय करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

6. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच के मामले में आवश्यक सहायता/सहकारिता प्रदान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
7. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने के चयन हेतु प्राधिकृत करता हूँ/हैं और इस बाबत ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
8. मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे/हमारे सर्वात्तम ज्ञान में सही है, और अगर दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है; तो आवेदन को तत्काल अस्वीकृत किया जाए।
तारीख दिन..... (वर्ष)

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

..... के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

उपाबंध क-1

[प्ररूप 1-(क) का पैरा 2 देखें]

1. कंपनी के ब्यौरे

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन संख्या	
फैक्स संख्या	
ई-मेल	
वेबसाइट	
रजिस्ट्रीकरण का समर्थन करने के लिए संलग्नक: (क) विनिर्माण या व्यावसायिक परिसर के नाम और पते को अधिप्रमाणित करने वाला दस्तावेज़ (ख) व्यापार चिह्न प्रमाण पत्र (ग) लघु उद्योग प्रमाण पत्र, यदि प्रवृत्त हो (घ) गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र	हाँ/नहीं
(ड.) प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता पत्र (च) भारतीय मानक प्रमाणन ब्यूरो की अनुज्ञप्ति, यदि प्रवृत्त हो (छ) ऑनलाइन संदाय किए जाने के मामले में संदाय रसीद	

2. विनिर्माण परिसर के विशिष्टियां (एक से अधिक विनिर्माण सुविधाओं के मामले में पृथक सारणी उपबंधित की जाए)

विनिर्माण सुविधा का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य / देश	
फोन संख्या	

फ़ैक्स संख्या	
ई-मेल	
वेबसाइट	
कोई अन्य विशिष्टियां (यदि कोई हो)	

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

..... के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्ररूप 1-(ख)

[विनियम 6 का उप विनियम (3) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाशिंग मशीन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के अधीन
वाशिंग मशीन पर लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथी मंजिल, सेवा भवन,

सेक्टर - 1, आर.के.पुरम

नई दिल्ली-110 066

भारत

1. मैं/हम ब्रांड नाम के अधीन वाशिंग मशीन के रजिस्ट्रीकृत विनिर्माणकर्ता हूँ/हैं
.....(ब्रांड का नाम) और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा जारी किया गया यूनिक लेबल
श्रृंखला कोड है
2. विनिर्माण सुविधा: उपरोक्त उपस्कर (कंपनी का नाम) द्वाराके
ब्रांड नाम में विनिर्मित या आयात किया जाता है और (कारखाने का नाम और पता) में
विनिर्मित होता है।
3. जानकारी के विशिष्टियां: उपस्कर, कंपनी, विनिर्माण सुविधा, उत्पाद परीक्षण प्रमाण-पत्र, लेबल और संदाय के संबंध में
जानकारी के ब्यौरों को उपाबंध में दिया गया है। फर्मों के रजिस्ट्रार या सोसायटी/उद्योग निदेशक (लघु उद्योग इकाइयों के
मामले में) द्वारा जारी निगमन प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी या फर्म के नाम और इसके विनिर्माण परिसर को प्रमाणित करने
वाले इसी तरह के अन्य दस्तावेज संलग्न हैं।
(क) आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति: _____ (नाम और पदनाम) कंपनी/फर्म/आदि की ओर से यह आवेदन करने
के लिए प्राधिकृत है और इस आवेदन के साथ प्रदान की गई जानकारी की सटीकता और प्रामाणिकता के लिए जिम्मेदार
होगा।
(ख) संपर्क व्यक्ति: _____ (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के प्रयोग के संबंध में ब्यूरो के
साथ समन्वय के लिए प्राधिकृत संपर्क व्यक्ति है।

(ग) मैं/हम ऊपर (क) या (ख) में परिभाषित प्राधिकृत व्यक्तियों में हुए किसी भी बदलाव के बारे में ब्यूरो को सूचित करने का वचन देते हैं

4. मानकों के अनुरूप: मैं/हम (उपस्कर का नाम) के लिए को (अधिसूचना का नाम) अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट/सुसंगत भारतीय / अंतरराष्ट्रीय मानक (मानक का नाम और संख्या) के अनुसरण में गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणपत्र की प्रक्रिया द्वारा (उपकरण का नाम) की सत्यापन करता हूँ/करते हैं।

मैंने/हमने अपनी आंतरिक प्रयोगशाला या स्वतंत्र प्रयोगशाला (प्रयोगशाला का नाम और पता) में परीक्षण की व्यवस्था की है, जो परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड या अंतरराष्ट्रीय प्रयोगशाला प्रत्यायन सहकारिता या एशिया प्रशांत प्रयोगशाला प्रत्यायन सहकारिता द्वारा प्रत्यायित है या समतुल्य निकाय उपस्कर की गुणवत्ता के साथ-साथ सुसंगत भारतीय मानकों/मानकीकरण के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन/का.आ.में यथाविनिर्दिष्ट अंतरराष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन मानकों की परिधि में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए

प्रयोगशाला के विशेषियां :

(क) प्रत्यायन बोर्ड :

(ख) प्रत्यायन प्रास्थिति:

(i) प्रयोगशाला के लिए: (हाँ/नहीं)

(ii) परीक्षण मानकों के लिए: (सुसंगत उत्पाद मानक नाम/संख्या विनिर्दिष्ट करें)

(iii) सुसंगत परीक्षण विधि के लिए (परीक्षण का नाम विनिर्दिष्ट करें)

5. उक्त उपकरण के उत्पादन और विक्रय के आंकड़े और उनका मूल्य मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और अनुमान के अनुसार इस प्रकार है:

वर्ष	उत्पादन	विक्रय	उपकरण का अधिकतम खुदरा मूल्य (रु.)
पिछले वर्ष _____ से _____ तक			
चालू वर्ष _____ से _____ तक (अनुमान)			

6. (क) दो हजार रुपए के आवेदन फीस का संदाय तारीख को इलेक्ट्रॉनिक मोड के द्वारा किया गया है।

(ख) एक लाख रुपए या पच्चीस हजार रुपए के लेबल सुरक्षा फीस का संदाय इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा किया गया है।

(ग) मैं/हम ब्यूरो द्वारा यथाविनिर्दिष्ट लेबलिंग फीस का संदाय करने के लिए सहमत हूँ / हैं।

7. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी नियमों और शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी पूछताछ के मामले में आवश्यक सहायता/सहयोग देने के लिए सहमत हूँ / हैं।

8. मैं/हम सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने के चयन के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को प्राधिकृत करता हूँ / करते हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ / हैं।

9. मैं/हम वचन देता हूँ / देते हैं कि इस आवेदन में दी गई जानकारी मेरे / हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसार सही है और यदि दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो आवेदन को तत्काल अस्वीकृत किया जाए।

तारीख(दिन) (वर्ष)

भवदीय,

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम.....

के लिए और की ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मोहर

उपाबंध क-2

[प्ररूप 1 (ख) का पैरा 3 देखें]

जानकारी के विशिष्टियां

1. उत्पाद/ साधित्र का ब्यौरा

1.1 सामान्य

विनिर्माता/प्रयोगशाला का नाम			
पता			
प्राप्ति की तारीख (स्वतंत्र प्रयोगशालाओं के लिए)			
परीक्षण मानक का पालन किया गया			
परीक्षण रिपोर्ट संख्या		परीक्षण की तारीख	
परीक्षणकर्ता का नाम		समीक्षकर्ता का नाम	

1.2 तकनीकी ब्यौरे

ब्रांड का नाम		मॉडल संख्या	
मॉडल का नाम		विनिर्माण का वर्ष	
वाशिंग मशीन का प्रकार		सेमी ऑटो/टॉप लोड/फ्रंट लोड	
		क्या इन-बिल्ट हीटर मौजूद है? (हाँ/नहीं)	
क्रम सं.		धुलाई/खंगालने के कार्यक्रम का पालन किया गया	
क्षमता (कि. ग्रा.)		धुलाई निष्पादन (%)	
खंगालने का निष्पादन		प्रति चक्र पानी का उपभोग (लीटर/कि. ग्रा.)	
शेष नमी सामग्री (आरएमसी) (%)			

ऊर्जा उपभोग प्रति चक्र (कि.वा. घंटा/किग्रा/चक्र) कॉटन 30 ° सेंटीग्रेड / कॉटन 60° सेंटीग्रेड	
स्टार रेटिंग	

2. कंपनी का ब्यौरा

कंपनी का नाम:	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	
प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम	

3. विनिर्माण परिसर का ब्यौरा

पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	
कोई अन्य विशिष्टियां	
प्राधिकृत प्रतिनिधि का नाम	

4. परीक्षण प्रयोगशाला के ब्यौरे

परीक्षण प्रयोगशाला का नाम	
प्रत्यायन स्थिति (प्रत्यायन प्रमाणपत्र की प्रति संलग्न करें)	
प्रत्यायन की विधिमान्यता (समर्थन दस्तावेज संलग्न करें)	
प्रत्यायन का क्षेत्र	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नंबर	

फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	


5. लेबलिंग की जानकारी

प्रारंभ होने की तारीख	
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के लिए प्रवृत्त लेबलों की संख्या प्रथम वर्ष के लिए - दूसरे वर्ष के लिए - तीसरे वर्ष के लिए - उत्पाद क्रम संख्या	
उत्पाद क्रमांक	_____ से _____ तक

6. संदाय का ब्यौरा

	कुल रकम	संदाय का ब्यौरा (इलेक्ट्रॉनिक संदाय विशिष्टियां)
आवेदन फीस प्रतिभूति जमा		

7. वार्शिंग मशीन पर चिपकाए जाने वाले लेबल का नमूना नीचे दिखाया गया है:



तारीख

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

के लिए और की ओर से

(फर्म का नाम)/फर्म की मोहर

प्ररूप 2 – (क)

[विनियम 7 (1) (क) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाशिंग मशीन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के अधीन
वाशिंग मशीन के ब्रांड के रजिस्ट्रीकरण हेतु अनुज्ञा

नई दिल्ली, तारीख

.....

सेवा में

.....
.....
.....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाशिंग मशीन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसार, ब्यूरो आपको इस पत्र के उपाबंध क-3 में रेटिड अनुमोदनों के ब्यूरो के अनुसरण में अपने ब्रांड को रजिस्ट्रीकृत करने की अनुज्ञा देता है।
2. यह अनुज्ञा निम्नलिखित के अधीन है-
 - (क) वाशिंग मशीन के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) और पूर्वोक्त विनिबंधनों में उपबंधित निबंधनों और शर्तों के अधीन अधिसूचित वाशिंग मशीन के लिए ऊर्जा उपभोग मानकों के अनुरूप होगा;
 - (ख) वाशिंग मशीन के केवल ऐसे मॉडल पर लेबल चिपकाना जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है;
 - (ग) अनुज्ञापत्रधारी की लागत पर वाशिंग मशीन पर लेबल चिपकाया और प्रिंट किया जाएगा या पैकेजिंग पर चिपकाया जाएगा;
 - (घ) अनुज्ञापत्रधारी यह सुनिश्चित करेगा कि वाशिंग मशीन पर संप्रदर्शित स्टार लेबल हर समय अनुरक्षित रखा जाएगा;
 - (ङ.) अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो द्वारा यथाविनिर्दिष्ट लेबल फीस का संदाय करेगा;
 - (च) अनुज्ञापत्रधारी वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में आगामी मास के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए लेबलीकृत उपस्कर के उत्पादन के ब्यूरो का एक विशिष्टियां ब्यूरो को प्रस्तुत करेगा। वही ब्यूरो को एक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से भी प्रस्तुत किए जाएंगे;
 - (छ) अनुज्ञापत्रधारी वाशिंग मशीन के ऐसे अन्य विशिष्टियां उपलब्ध कराएगा जैसा और जब ब्यूरो चाहेगा, जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है।
3. अनुज्ञापत्रधारी, ब्यूरो के पूर्वानुमोदन के बिना, अनुज्ञा की विधिमान्य अवधि के दौरान बाजार से रजिस्ट्रीकृत ब्रांड और वाशिंग मशीन को वापस नहीं लेगा।
4. ब्रांड के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा समनुदेशित यूनिक लेबल श्रृंखला कोड है और इसे अनुमोदित डिजाइन के अनुसरण में लेबल पर दिखाई देना चाहिए।
5. यह तारीखमास का दिन.....वर्ष को हस्ताक्षरित और मुहरबंद किया गया है।

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध क-III
[प्ररूप 2-(क) का पैरा 1 देखें]
अनुमोदनों के व्यौरे

1. कंपनी के व्यौरा

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	

2. रजिस्ट्रीकृत ब्रांड का नाम:
3. यूनिक श्रृंखला कोड:
4. अन्य विशिष्टियां यदि लागू हों:

तारीख:

भवदीय,

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्ररूप II-(ख)

[विनियम 7 का उप-विनियम (1) और उप-विनियम (7) का खंड (ख) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाशिंग मशीन के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के अधीन
वाशिंग मशीन पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा/नवीनीकरण

नई दिल्ली, तारीख.....

सेवा में,

.....

.....

.....

1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाशिंग मशीन के लेबलों पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में, ब्यूरो आपको इस उपाबंध में उपवर्णित अनुमोदनों के विशिष्टियां के अनुसरण में लेबल चिपकाने की अनुज्ञा देता है।
2. यह अनुज्ञा इस शर्त के अधीन है कि -
 - (क) वाशिंग मशीन के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार लेबल अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) और पूर्वोक्त विनिबंधनों में उपबंधित किए गए निबंधनों और शर्तों के अधीन अधिसूचित वाशिंग मशीन के लिए ऊर्जा उपभोग मानक के अनुरूप होगा;
 - (ख) वाशिंग मशीन के केवल ऐसे मॉडल पर लेबल चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है;
 - (ग) अनुज्ञापत्रधारी की लागत पर वाशिंग मशीन पर लेबल को मुद्रित या चिपकाया जाएगा;
 - (घ) अनुज्ञापत्रधारी यह सुनिश्चित करेगा कि वाशिंग मशीन पर संप्रदर्शित स्टार स्तर सभी समय अनुरक्षित रखा जाएगा;
 - (ङ.) अनुज्ञापत्रधारी प्रति लेबल तीस रुपए की लेबल फीस का संदाय करेगा;
 - (च) अनुज्ञापत्रधारी वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के अंत में आगामी मास के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए लेबलीकृत उपस्कर के उत्पादन के ब्यौरों का एक विशिष्टियां ब्यूरो को प्रस्तुत करेगा। वही ब्यौरे ब्यूरो को एक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से भी प्रस्तुत किए जाएंगे। वही ब्यौरे एक स्वचालित प्रणाली के माध्यम से ब्यूरो को प्रस्तुत किए जाएंगे;
 - (छ) अनुज्ञापत्रधारी वाशिंग मशीन के ऐसे अन्य विशिष्टियां उपलब्ध कराएगा जैसा और जब ब्यूरो चाहेगा, जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है।
3. यह अनुज्ञा..... से.....तक प्रभावी और विधिमान्य होगी और इसे नवीकृत किया जा सकेगा। अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो के पूर्वानुमोदन के बिना अनुज्ञा की विधिमान्यता अवधि के दौरान बाजार से वाशिंग मशीन को वापस नहीं लेगा।
4. उपकरण के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट यूनिक लेबल श्रृंखला कोड है और अनुमोदित डिज़ाइन के अनुसार यह लेबल पर दिखाई देना चाहिए।
5. जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा समीक्षा करने पर स्टार स्तर योजनाओं को पुनरीक्षित किया जाता है, वाशिंग मशीन का स्टार स्तर निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जाएगा: -
 - (क) यदि नया मॉडल पुनरीक्षित स्टार स्तर के साथ तुल्यकालन करते हुए लॉन्च किया जाता है तो नया स्टार स्तर प्रभावी होने की तारीख से छह मास पहले, इस तरह की अनुज्ञा के लिए ब्यूरो को आवेदन प्रस्तुत किया जाएगा;
 - (ख) जहां विद्यमान मॉडल को पुनरीक्षित स्टार स्तर पर प्रभावी बनाना जारी रखा गया है, केवल प्ररूप IV में एक घोषणा ब्यूरो को प्रस्तुत की जाएगी।
6. यह तारीख मास का दिन वर्ष को हस्ताक्षरित किया गया और मुहरबंद किया गया।

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध

[प्ररूप II का पैरा 1 देखें]

अनुमोदनों के विशिष्टियां

1. साधित्र का ब्यौरा


साधित्र/उपस्कर
टाइप (सेमी-ऑटोमैटिक, टॉप लोड, फ्रंट लोड)
मॉडल का नाम / विनिर्माण वर्ष
विनिर्माता/आयातक का नाम
रेटिड क्षमता
जल निष्पादन (मृदा निवारण %)
जल निकासी निष्पादन
खंगालने का निष्पादन
कार्यक्रम
इन-बिल्ट हीटर
ऊर्जा का उपभोग प्रति कि.ग्रा./चक्र/प्रोग्राम
पानी का उपभोग प्रति कि.ग्रा./चक्र/प्रोग्राम

क्र. सं.	मॉडल नाम/संख्या	मापित मूल्य		रेटिड मूल्य	
		क्षमता (किग्रा)	प्रति कि.ग्रा. प्रति चक्र ऊर्जा का उपभोग	क्षमता (कि.ग्रा.)	प्रति कि.ग्रा. प्रति चक्र ऊर्जा का उपभोग

2. लेबल के ब्यौरे

साधित्र	
प्रकार	
ब्रांड/ विनिर्माता / आयातक का नाम /	
मॉडल का नाम/विनिर्माण का वर्ष	
स्टार स्तर	
रेटिड क्षमता	
पानी का उपभोग प्रति चक्र/प्रोग्राम	
लेबल अवधि	
ऊर्जा का उपभोग (प्रति कि.ग्रा. प्रति चक्र)	
उद्गम देश	
यूनिक श्रृंखला कोड	

3. वाशिंग मशीन पर चिपकाए जाने वाले ब्यूरो द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित लेबल का नमूना नीचे दिखाया गया है।



पत्र में दिए गए यूनिक लेबल श्रृंखला कोड दिया गया है जिसे वाशिंग मशीन पर लगाए गए लेबल पर उल्लिखित किया जाना है।

4. लेबल डिजाइन, आकार, रंग योजना, लेबल के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री और ब्यूरो के लोगो के लेबल और रंग स्कीम की सामग्री अनुसूची में विनिर्दिष्ट के अनुसरण में होगी।

तारीख

हस्ताक्षर

नाम

पदनाम

के लिए और की ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मोहर

प्ररूप III

[विनियम 7 का उप-विनियम (2) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले अनुज्ञापत्रधारियों का रजिस्टर (टेम्प्लेट)

क्र.सं.	आवेदन संख्या और अनुज्ञा की तारीख	अनुज्ञापत्रधारी का नाम और विशिष्टियां (संपर्क व्यक्ति, पता, पिन)	उपकरण के विशिष्टियां जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है	घोषित स्टार स्तर या दक्षता स्तर	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो अनुज्ञा संख्या और यूनिक लेबल श्रृंखला	अवधि जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है

		कोड, राज्य, फोन नंबर, फैक्स नंबर, ई- मेल, वेबसाइट)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

लेबल सुरक्षा रकम	प्राप्त लेबल सुरक्षा फीस (इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (विशिष्टियां): तारीख :)	प्राप्त आवेदन फीस रकम के विशिष्टियां (इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन (विशिष्टियां): तारीख :)
(8)	(9)	(10)

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान लगाए गए लेबलों की कुल संख्या	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को देय लेबलिंग फीस की रकम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त लेबलिंग फीस विशिष्टियां (इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन विशिष्टियां): तारीखः)	टिप्पणी
(11)	(12)	(13)	(14)

प्ररूप 4

[विनियम 7 का उपनियम (7) देखें]

विद्यमान मॉडल पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा जारी रखने की मांग करने वाले अनुज्ञापत्रधारी द्वारा की गयी घोषणा
(प्रत्येक अलग-अलग मॉडल के लिए, संबंधित उपाबंध के साथ एक अलग पत्र प्रस्तुत किया जाएगा)
(निगमित निकाय/अनुज्ञापत्रधारी के शीर्षनामा पर)

तारीख:

सेवा में,
महानिदेशक
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार) चौथी मंजिल, सेवा भवन,
सेक्टर 1, आर के पुरम,
नई दिल्ली-110066
भारत।

विषय: से प्रभावी स्टार स्तर के पुनरीक्षण पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाशिंग मशीन पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023) के अधीन लेबल चिपकाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन।

1. मैं/हम वाशिंग मशीन के विनिर्माता/आयातकर्ता हूँ/ हैं जो (कंपनी के पूरे पते के साथ नाम) (व्यष्टि या फर्म का पूरा नाम) के अभिनाम से कारोबार चला रहा हूँ/चला रहे हैं इसके ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वाशिंग मशीन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम 2023 में, ब्यूरो द्वारा यथाविनिर्दिष्ट वाशिंग मशीन पर लेबल चिपकाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हूँ/ करते हैं जो से स्टार लेबल पर पुनरीक्षण के लिए जाएगा।

2. उपरोक्त उपस्कर (व्यष्टि या फर्म का पूरा नाम) द्वारा विनिर्मित या आयातित किया जाता है और इसे (कारखाने का नाम और पता) पर विनिर्मित किया जाता है या (आयातकर्ता का नाम और पता) से आयात किया जाता है;

3. नए स्टार स्तर के अनुरूप: मैं/हम वाशिंग मशीन के लिए का.आ. संख्यांक तारीख..... में विनिर्दिष्ट सारणी के अनुसार सारणी परिवर्तन के अनुरूप हूँ। उपरोक्त उपस्कर (जो पूर्वत्तर अनुमोदित किए गए थे) के संबंध में ब्यूरो के अनुमोदन की एक प्रति संलग्न है।
4. वाशिंग मशीन के बाबत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो लेबल (स्टार स्तर परिवर्तन के पुनरीक्षण के अनुसरण में) की एक प्रति संलग्न है।
5. स्टार स्तर के पुनरीक्षण के अनुसार उपस्कर या मॉडल के ब्यौरे

मॉडल का नाम _____

विशिष्टियां	घोषित मान	
रेटिड क्षमता	--	
पानी उपभोग प्रति चक्र / प्रोग्राम	--	
ऊर्जा उपभोग प्रति चक्र	--	
स्टार रेटिंग	(विद्यमान स्टार स्तर के अनुसरण में)	(पुनरीक्षित स्टार स्तर के अनुसरण में)

6. मैं/हम मैनुअल आवेदन और ऑनलाइन वेब पोर्टल में स्टार स्तर को (विद्यमान स्टार लेबल स्तर) से (पुनरीक्षित स्टार लेबल स्तर) में परिवर्तन के लिए सहमत हूँ/हैं।
7. मैंने/हमने उक्त वाशिंग मशीन मॉडल के लिए अब तक का अपना तिमाही उत्पादन डेटा और लेबलिंग फीस जमा कर दी है।
8. मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच के मामले में आवश्यक सहायता/सहकारिता प्रदान करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
9. मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने के चयन हेतु प्राधिकृत करता हूँ/हैं और इस बाबत ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
10. मैं/हम वचन देता हूँ/देते हैं कि इस आवेदन में दी गई सूचनाएं मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान के अनुसरण में सही हैं, और यदि दी गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है; आवेदन को तत्काल अस्वीकृत किया जाए।

तारीख

(वर्ष) का दिन

हस्ताक्षर

नाम.....

पदनाम.....

..... के लिए और उनकी ओर से

(फर्म का नाम)

फर्म की मुहर

प्ररूप 5

[विनियम का 11 का उपविनियम (6) देखें]

अनुज्ञापत्रधारी को चुनौती परीक्षण/दूसरे परीक्षण की सूचना

सेवा में,

नई दिल्ली, तारीख

.....
.....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वांशिंग मशीन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में, आपको पत्र संख्या.....तारीख उसमें विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुपालन के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के माध्यम से वांशिंग मशीनपर लेबल लगाने की अनुज्ञा दी गई थी।

2. ब्यूरो ने, आपके प्राधिकृत वितरक/ब्यौहारी/फुटकर विक्रेता से बीजक संख्या तारीख रुपए मान पर और नमूना तारीख को स्वप्रेरणा परीक्षण या चुनौती परीक्षण के प्रयोजन के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वांशिंग मशीन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 11 के अधीन, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो स्टार लेबल वाले वांशिंग मशीन खरीदी थी। उपरोक्त विनियमों के विनियम 3 के अधीन लेबल पर प्रदर्शित विवरणों के सत्यापन के लिए ब्यूरो द्वारा नियुक्त एक एजेंसी मैसर्स द्वारा नमूने खरीदे गए थे, जो आपके द्वारा पूर्वोक्त खरीदी गई वांशिंग मशीन पर चिपकाए गए थे। मैसर्स द्वारा क्रम संख्या ----- द्वारा सम्यक रूप से मुहरबंद किया गया सत्यापन एजेंसी के प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के अधीन नमूना मैसर्स (वितरक, ब्यौहारी, फुटकर विक्रेता का नाम) से प्राप्त किया गया था।
3. ब्यूरो ने अधिसूचना संख्यांक का.आ.तारीख..... के पैरा 3, 4 एवं 5 में उपदर्शित परीक्षण प्रक्रिया अधिसूचना संख्या का.आ. के अधीन अपनी पूर्वोक्त सत्यापन एजेंसी के माध्यम से पैरा 2 में संदर्भित नमूने को मैसर्स-----, परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड के अनुसार परीक्षण करने के लिए प्रत्यायित प्रयोगशाला में पहुँचाया था।
4. उत्पाद के ब्यौरे और स्वतः परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो) इस पत्र के साथ संलग्न है। अतः, अब ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के विनियम 11 के उपविनियम (1) के उपबंधों के अनुसरण में (वांशिंग मशीन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति)विनियम, 2023, ब्यूरो स्वप्रेरणा से(तारीख) को.....(प्रयोगशाला का नाम), परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित परीक्षण/चुनौती परीक्षण (यथा लागू) का संचालन कर रहा है।
5. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के विनियम 11 के उपविनियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में (वांशिंग मशीन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023, ब्यूरो इसके द्वारा सूचित करता है -
 - (i) उपरोक्त विनिर्दिष्ट तारीख पर चुनौती परीक्षण/ दूसरा परीक्षण देखने के लिए किसी अधिकारी को नामनिर्दिष्ट अधिकारी के रूप में, नाम, पदनाम और हस्ताक्षर (मूल रूप में) उपदर्शित करते हुए प्राधिकरण पत्र के साथ नामनिर्दिष्ट करें (पत्र कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और मुहर सहित होगा)।
 - (ii) इस पत्र के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर उपापन, परिवहन, परीक्षण और अन्य आकस्मिक व्ययों की ऐसी लागत जमा करें जैसा कि उपाबंध में उल्लिखित किया गया है (व्यय इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से जमा किए जाएंगे)।
6. कृपया नोट करें कि ब्यूरो चुनौती परीक्षण या दूसरा परीक्षण द्वारा सत्यापन जारी रखेगा, भले ही उपरोक्त उल्लिखित व्यय समय पर नहीं किए गए हों या अधिकारियों को विनिर्दिष्ट अनुसार नामनिर्दिष्ट नहीं किया गया हो और इस मामले में ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वांशिंग मशीन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के नियम 11 के उपनियम (7) के अंतर्गत अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।
7. वर्ष के मास..... की तारीख..... को मुहर सहित हस्ताक्षर।

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध:

1. उत्पाद/स्वप्रेरणा प्रेरित परीक्षण परिणाम के विशिष्टियां
2. उपाबंध 5(क)
3. व्यय से संबंधित बीजक

उपाबंध

[प्ररूप 5 का पैरा 5 देखें]

जानकारी के ब्यौरे

1. चुनौती परीक्षण/दूसरे परीक्षण के लिए चुने गए उत्पाद या उपस्कर के विशिष्टियां

ब्रांड का नाम:	
यूनिक लेबल श्रृंखला कोड:	
मॉडल का नाम/मॉडल संख्या:	
वाशिंग मशीन का प्रकार:	
धुलाई निष्पादन (मिट्टी निवारण %):	
धुलाई निष्कर्षण निष्पादन:	:
खंगालने का निष्पादन:	
कार्यक्रम:	
इन-बिल्ट हीटर:	
ऊर्जा का उपभोग :	
पानी का उपभोग:	
विनिर्माण वर्ष:	
स्टार रेटिंग या स्टार स्तर:	

2. ब्यूरो के पास जमा की जाने वाली रकम:

विशिष्टियां	संख्या/व्यय (भारतीय रुपए में)
नमूनों की संख्या	
लागत प्रति नमूना	
कुल क्रय लागत	
कुल परीक्षण फीस	
परिवहन फीस (यदि लागू हो)	
अन्य (यदि लागू हो)	
अनुज्ञापत्रधारी द्वारा संदत्त की जाने वाली कुल रकम	

3. स्वप्रेरणा परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो):

ब्रांड	मॉडल	रेटिड क्षमता	रेटिड ऊर्जा उपभोग प्रति कि.ग्रा. प्रति चक्र	ऊर्जा उपभोग का परीक्षण मूल्य प्रति चक्र प्रति किलो	स्टार रेटिंग (घोषित)	स्टार रेटिंग (जांच परीक्षण)	टिप्पणियां

तारीख

(सचिव)
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

प्ररूप 6

[विनियम 11 का उपनियम 7 देखें]

दूसरा जांच परीक्षण असफल होने पर अनुज्ञापत्रधारी को निदेश

सेवा में

नई दिल्ली, तारीख

.....

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वांशिंग मशीन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में, आपको ऊर्जा ब्यूरो के पत्र संख्या तारीख के माध्यम से उसमें विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुपालन के अधीन वांशिंग मशीन पर लेबल लगाने की अनुज्ञा दी गई थी।

2. ब्यूरो ने, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वांशिंग मशीन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियमन के अधीन, आपके प्राधिकृत वितरक, ब्यौहारी, फुटकर विक्रेता से बीजक संख्या रुपए की कीमत पर तारीख को मैसर्स से स्टार लेबल वाली वांशिंग मशीन खरीदी थी और पूर्वोक्त विनियमों के विनियम 3 के अधीन लेबल पर प्रदर्शित विशिष्टियों के सत्यापन के लिए ब्यूरो द्वारा नियुक्त एक एजेंसी मैसर्स (एजेंसी का नाम) द्वारा नमूने के रूप में आपके द्वारा पूर्वोक्त खरीदे गए वांशिंग मशीन पर चिपकाए गए थे। मैसर्स (वितरक, ब्यौहारी, फुटकर विक्रेता) क्रमांक से सत्यापन एजेंसी के सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के अधीन प्राप्त किया नमूना सम्यक रूप से सील किया गया।

3. ब्यूरो ने अपनी उक्त सत्यापन एजेंसी के माध्यम से पैरा 2 में निर्दिष्ट नमूने को मैसर्स....., परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से प्रत्यायित प्रयोगशाला के पास, तारीखके का.आ. संख्या.....के पैरा 4 और 5 उपदर्शित जांच प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण और तारीखकी का.आ. संख्या.....के उपाबंध में दिये गये प्ररूप.....के अनुसार परीक्षण रिपोर्ट देने के लिए के लिये भेजा था।

4. विशिष्ट पहचान क्रम संख्या वाले नमूने पर परीक्षण रिपोर्ट के परिणाम संलग्न हैं। जांच रिपोर्ट के परिणाम उपदर्शित करते हैं कि नमूने वाली वांशिंग मशीन ऊर्जा उपभोग परीक्षण को पूरा करने में असफल रही है और आपके द्वारा विनिर्मित/आयातित वांशिंग मशीन पर लेबल लगाने की अनुज्ञा मांगने के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न प्ररूप 1 में आपके द्वारा प्रस्तुत परीक्षण ब्यौरे के अनुरूप नहीं है। परीक्षण के परिणाम आपको आपके प्राधिकृत संपर्क व्यक्ति के नाम पर ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के पत्र संख्या... तारीख..... के द्वारा भेजे गए थे। आपसे यह भी अनुरोध किया गया था कि आप परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से प्रत्यायित प्रयोगशाला मैसर्स में नमूनों के दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण में भाग लें और उसके साक्षी बनें।

5. दूसरे सत्यापन परीक्षण के लिए नमूने तारीख..... हमारी प्राधिकृत एजेंसी मैसर्स.....के द्वारा लिया गया था और इसे हमारी प्राधिकृत एजेंसी..... द्वारा सम्यक रूप से सीलबंद कर परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड से प्रत्यायित प्रयोगशाला को भेज दिया गया था और सत्यापन एजेंसी के प्राधिकृत प्रतिनिधि और आपके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षरों से प्राप्त इस नमूने पर विशिष्ट पहचान क्रम संख्या दी गयी थी।

6. दूसरे परीक्षण के जांच परिणाम संलग्न हैं जो परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला के सक्षम प्राधिकारी द्वारा परीक्षित और हस्ताक्षरित है, जांच रिपोर्ट पर दूसरे परीक्षण के साक्षी के रूप में आपके प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर भी हैं। जांच परिणाम इस बात की पुष्टि करते हैं कि परीक्षण तारीख.....की का.आ. संख्या.....में दिये गये अपेक्षित मानदंड और मानक तथा विनिर्मित/आयातित और बाजार मे बेची गई वांशिंग मशीन पर लगे लेबल पर विशिष्टियां प्रदर्शित करने के लिए आपको दी गयी अनुज्ञा से संबंधित निबंधन और शर्तों को पूरा करने में असफल रहे।

7. अतः अब ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वांशिंग मशीन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 11 के उपविनियम (7) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए ब्यूरो निदेश देता है-

(i) वांशिंग मशीन के लेबल पर उनके संप्रदर्शित स्टार लेबल सही करें या परीक्षण में पायी गयी त्रुटियों और कमियों को दूर करें ;

- (ii) ब्यूरो के निदेशों के अनुपालन में बाजार से सभी स्टॉक वापस लें;
 (iii) विज्ञापन सामग्री में दी गई विशिष्टियां बदलें।

8. आपको यह पत्र जारी होने की तारीख से दो मास के भीतर उपर्युक्त संशोधनात्मक कार्रवाई पूरी करने और दो मास पूरे होने पर 10 दिन के भीतर अर्थात्.....तक प्ररूप 6 में अनुपालन रिपोर्ट भेजने का निर्देश दिया जाता है। यदि उक्त तारीख तक अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है तो ब्यूरो ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वांशिंग मशीन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 11 के उपविनियम (10) के खंड (ख) के अधीन कार्रवाई शुरू करेगा।

9. ब्यूरो इस मामले में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वांशिंग मशीन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 11 के उपविनियम (5), उपविनियम (6), उपविनियम (7) और उपविनियम (8) के अनुसार आगे की कार्रवाई करेगा।

सचिव,

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नक :

1. असफल मॉडल का परीक्षण रिपोर्ट
2. विनिर्माता के साथ पत्राचार

प्ररूप 7

(विनियम 11 का उपनियम (8) देखें)

कार्रवाई रिपोर्ट

(संगठन के शीर्षनामा पर दिया जाय)

सेवा में

तारीख

सचिव,

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर 1, आर.के.पुरम,

नई दिल्ली-110066 भारत

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वांशिंग मशीन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसरण में हम मेसर्स वांशिंग मशीन के विनिर्माता को ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तारीख.....की पत्र- संख्या द्वारा मॉडल संख्याके लिये स्टार लेबलऊर्जा उपभोग मानक के अनुरूप, वांशिंग मशीन पर लेबल लगाने की अनुज्ञा दी गयी थी।

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (वांशिंग मशीन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 11 के उपविनियम (7) के उपबंधों के अनुसरण में हमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तारीख.....की पत्र- संख्या.....द्वारा आवश्यक सुधार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया था। हम घोषित करते हैं कि ब्यूरो के निदेशानुसार हमारी तरफ से निम्नलिखित कार्रवाई की गयी है।

	निदेशित कार्रवाई	प्रास्थिति	की गयी कार्रवाई
(i)	ब्यूरो के निदेशों के अनुपालन में वांशिंग मशीन के लेबल पर प्रदर्शित स्टार लेबल सही करें	हां/नहीं/लागू नहीं होता।	स्टार लेबल बदलकरस्टार से.....स्टार..... तारीख से कर दिया गया है।
(ii)	ब्यूरो के निदेशों के अनुपालन में बाजार से सभी स्टॉक हटा लें, और	हां/नहीं/लागू नहीं होता।	ब्यूरो के निदेशों के अनुपालन में बाजार से सभी स्टॉक हटा लिये गये हैं

(iii)	विज्ञापन सामग्री पर प्रदर्शित विशिष्टियां बदलें	हां/नहीं/लागू नहीं होता।	हां/नहीं/लागू नहीं
-------	---	--------------------------	--------------------

उपर्युक्त घोषणा हमारी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पद

कृते और की ओर से.....

कंपनी / फर्म का नाम

कंपनी / फर्म की मुहर

अनुसूची

[विनियम 3 का उपविनियम (2) देखें]

वाशिंग मशीन के लेबल पर संप्रदर्शित होने वाली विशिष्टियां।

(क) लेबल डिजाइन, आकार, रंग योजना और लेबल की सामग्री में सम्मिलित होंगे: -

(i) लेबल के निम्नलिखित आयामी डिजाइन अर्थात्: -



(ii) लेबल के लिए निम्नलिखित रंग योजना अर्थात्:-



नीला -

ह्यू (एच) -2390 संतृप्ति (एस): 64% चमक (बी): 59%

चमक या हल्कापन (एल):28, रंगीन घटक -a:24 b:54

लाल (आर): 54 हरा (जी): 55 नीला (बी): 151

सियान (सी): 97% मैजेंटा (एम): 95% पीला (वाई): 6% काला (के): 1%

वेब कलर कोड - #363797


हरा -

ह्यू (एच)-1500 संतृप्ति (एस):10% चमक (बी): 67%, चमक या हल्कापन (एल):61, रंगीन घटक -ए:-53

बी:32, लाल(आर):0 हरा (जी)):170 नीला(बी):87

सियान (सी): 81% मैजेंटा (एम): 10% पीला (वाई): 90% काला (के): 1%, वेब रंग कोड - #00एए56;

(iii) वाशिंग मशीन पर निम्नलिखित लेबल लगाया जाना चाहिए:-



(2) लेबल सामग्री

लेबल टिकाऊ कार्डबोर्ड का बना होना चाहिए, इसे एक स्विंग टैग के रूप में लगाया जाना चाहिए, या अपने आप चिपकने वाला होना चाहिए। इसे लेबल के लिये दर्शाये गये विमितीय डिजाइन की रूप रेखा में से किसी एक के अनुसार काटा जाना चाहिए।

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2023

F.No. BEE/S&L/WM/06/22-23.—Whereas the draft regulation namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Washing Machine) Regulations, 2023, were published *vide* notification number BEE/S&L/WM/06/22-23, on dated 23rd January, Extraordinary, Gazette of India, part III, Section 4 as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objection & suggestion & from persons likely to be affected thereby within the specified period of thirty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas, Gazette copies of the said draft regulation were made available to the public on 23rd January, 2023;

And whereas, objections and suggestions have been received with respect to the said draft regulation within the period aforesaid;

And whereas, the suggestions received in this regard have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 58 read with clause (n) of sub-section (2) of section 13 and clause (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

1. **Short title and commencement.** - (1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Washing Machine), Regulations, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definition .** - (1) In these regulations, unless the context otherwise requires,--

(a) “Act” means the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001);

(b) “Form” means a form appended to these regulations;

(c) “label” means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon the Washing Machine;

(d) “label period” means the validity period of per-cycle energy consumption per kg under energy performance standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act:

Provided that if, by the ending timeline of the label validity period, the new energy performance standards under clause (a) of section 14 of the Act are not notified, the existing standards shall deemed to be valid until new values for the Same are notified by the Central Government;

(e) “permittee” means a person or agency to whom permission has been granted to affix label under regulation 7;

(f) “Schedule” means the Schedule annexed to these regulations;

(g) “Star rating or star level” means the grade of energy efficiency displayed on the label of the washing machine based on energy consumption per cycle notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act. and the available stars are between a minimum of one and a maximum of five shown in one star interval.

(h) “trader or seller” in relation to any washing machine means a person who sells or distributes such washing machine and includes shopkeeper, trader, manufacturer and permittee who has been given permission to affix label on such washing machine;

(i) “Washing Machine” means an appliance as specified in the notification under clause (b) of section 14 of the Act;

(2) Words and expressions used herein but defined in the Act, shall have meanings assigned to them in the Act.

3. **Particulars to be displayed on label.** - (1) On every washing machine, the following particulars shall be displayed on its label, namely: -

(a) Star level;

(b) logo of the Bureau of Energy Efficiency;

(c) name of appliance;

(d) type of washing machine;

(e) Brand or make;

(f) Model number and year of manufacturing or import;

(g) load capacity;

(h) water consumption;

(i) unique label series code; and

(j) label period.

(2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations.

4. Time limit for display of labels.—

(1) **Transition from Voluntary to Mandatory regime.-** A label containing all the particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every washing machine within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.

(2) **Revision of Mandatory Energy performance standards.-** On and from commencement of revised energy performance standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, every permittee or trader or seller,-

(a) shall not produce the washing machine with the previous energy performance standards;

(b) the washing machine shall display revised star level and label period with the revised energy consumption standard and the manufacturing year of the washing machine in synchronization with revised energy performance standards: and provided that for smooth transition, manufacturer shall produce or import the product two months in advance from the date of such commencement with the revised energy performance standards.

(c) all preparatory steps including awareness of the dealers, retailers, requisite publicity for their education as well as for the education of the consumers are well planned and action taken three months in advance.

5. Manner of display of label. -

(1) There shall be label on every washing machine which shall displayed at the point of sale and such label shall be affixed on washing machine in the following manner, namely:-

(a) The label shall be firmly affixed at the front side of each appliance and should be easily visible as referred in sub-regulation (2) of regulation 3 and the permittee shall ensure that the label appears on every registered unit or model at point of sale and the label shall also be printed or pasted on the packaging box of the unit or model; and

(b) The label shall be of self – adhesive material. The markings required by the schedule shall be legible, indelible and durable.

(2) For units not on display, the label may be printed or pasted to the exterior to the casing and this label may be attached to the unit or model when the unit or model is removed from its packaging or the label shall be included as a part of the documentation given to the customer or user.

6. Permission for display of label.- (1) No star label shall be affixed on a washing machine without obtaining the prior permission of the Bureau.

(2) **Company registration.-** For the purposes of obtaining permission of the Bureau under sub-regulation (1), an application for registration shall be made for every brand separately as specified in Form I (A), and accompanied by a label security deposit of one lakh rupee payable by acceptable electronic mode of payment:

Provided that in case of small scale industry, the label security fee shall be twenty five thousand rupees only.

(3) **Model registration.-** Every application of the permittee under sub-regulation (2) shall be accompanied by—

(a) an application fee of two thousand rupees per model, payable by electronic mode of payment; and

(b) a label security fee of one lakh rupees, payable by electronic mode of payment:

Provided that in case of small scale industry label security fee shall be only twenty -five thousand thousand rupees; and

(c) documents specified in Form I (B).

7. Grant of permission.- (1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period as specified in DISHA (Bureau's Operation Manual on Standards and Labelling) subject to such terms and conditions as specified in regulation 8, –

(a) register the brand in Form II-(A) in electronic form; and

(b) grant permission for affixing label on washing machine in Form II (B) in electronic form.

(2) The Bureau shall maintain a register in Form III and enter the name of the permittee therein.

(3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for such period till the star level specified by the energy consumption standard as notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act.

(4) In case of revision of star rating plan, an application for renewal of permission shall be made by the permittee not later than one month before its expiry and shall be accompanied by a fee of rupees one thousand payable in electronic mode in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi:

Provided that in case of extension of star rating plan, the said renewal fee of rupees one thousand shall be exempted.

(5) No application shall be renewed after expiry of validity period, in which case the permittee shall make a fresh application.

(6) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission in Form II B.

(7) The permittee who seeks permission for continuance to affix label on the existing model of the washing machine from the date from which the revised star level comes into force, shall submit only a declaration in Form IV.

(8) The permittee shall seek permission to affix label afresh, if new model of the washing machine is planned to be launched to synchronise with the revised star level and application for such permission may be made six months in advance of coming into force of the revised star level.

8. Terms and conditions for display of particulars on label. - Every permittee, trader and seller shall,-

- (a) comply with the energy performance standards for washing machine notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act;
- (b) affix label only on such model of washing machine for which permission has been granted;
- (c) print and affix label on washing machine at the cost of permittee;
- (d) ensure that the star level displayed on the label of washing machine shall be maintained at all time;
- (e) pay the label fee as specified in regulation 9;
- (f) furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year;
- (g) furnish to the Bureau an updated list of authorised distributors, dealers, retailers, sellers appointed to sell their labelled products by 30th day of April of each year; and
- (h) comply with such other terms and conditions which the Bureau may specify including those contained in the Bureau's Manual on Standard and Labelling.

9. Label fee. - (1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of rupees thirty for each label affixed on the washing machine.

(2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year:

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau shall recover the amount due with interest thereon at ten percent per annum from the label security deposit paid made under clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 6, and if complete labelling fees are not recovered within one year of the last date of submission, the Bureau may cancel the permission to labels granted to the permittee and publish the name of the permittee in the national or regional daily newspapers and in electronic means as a defaulter.

10. Refund of label security fee. -- Subject to the provisions of sub-regulation (2) of regulation 9, a permittee shall be entitled to a refund of the label security deposit, on ceasing to manufacture washing machine.

11. Verification by Bureau. - (1) The Bureau or its designated agency may, either suo motu, or on a complaint received by it and carry out verification to ensure that the washing machine conforms to the star level and other particulars displayed on its label and it complies with the other terms and conditions of permission.

- (2) All test includes wash performance, rinse performance, energy consumption, water consumption and water extraction performance (residual water content).
- (3) For the purpose of verification, samples shall be picked up at random by Bureau or its designated agency from the manufacturing facility and warehouse or the retail outlet as it deems fit.
- (4) Where, upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification by challenge testing the washing machine in an independent laboratory duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories,-

- (a) the Bureau shall issue a notice to the permittee in form V for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit, such expenses relating to sample cost, testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time, as may be determined by Bureau.
- (b) if the sample drawn under challenge testing fails, all expenses towards the cost of sample, transportation of sample and the testing charges, shall be reimbursed by the permittee to the Bureau and the Bureau shall refund the aforesaid expenses to the complainant; and
- (c) where the equipment passes the challenge test, then, the expenses deposited by the complainant shall be forfeited.
- (5) Where, upon a complaint received under sub-regulation (1), if the permittee fails to deposit such expense referred to in sub-regulation (3) within such time, the Bureau shall -
- (a) continue the verification by challenge testing the washing machine referred to in sub-regulation (3); and
- (b) the processing of application received under regulation 6 may be kept in abeyance till such expense are deposited.
- (6) Where samples of washing machine used for testing fails the test during suo motu testing or challenge testing, the Bureau shall offer the permittee, another opportunity and conduct a second test with twice the quantity of washing machine used in the first test, in an independent test laboratory which is different from the lab where the first check testing was conducted and shall be duly accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories at the cost of the permittee and the Bureau shall intimate the permittee in Form V to witness the challenge testing referred to in sub-regulation (3) or the second test referred to in sub-regulation (4) and the expenses to be made towards the procurement and testing of sample..
- (7) Where the second test fails, the Bureau shall, -
- (a) direct the permittee in Form VI, under intimation to all the State Designated Agencies, that the permittee within a period of two months shall,-
- (i) correct the star level displayed on the label of the washing machine or remove the defects and deficiencies found during testing;
- (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
- (iii) change the particulars displayed on advertising material;
- (b) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specifications in any national or regional daily newspaper and in any electronic means or in any other manner as it deems fit, within two months;
- (c) Intimate to the concerned State Designated Agency to initiate adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.
- (8) The permittee shall within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation (7),-
- (a) send the compliance report in Form VII to Bureau with respect to action taken in compliance with the direction; and
- (b) in case the compliance report referred to in clause (a) is not received or received without complying to any of the direction within the specified period, it shall be deemed as non-compliance of the direction issued and orders to that effect shall be passed by the Bureau.
- (9) The Bureau shall send a copy of the compliance report referred to in clause (a) and orders passed in clause (b) of sub-regulation (8) along with necessary documents to all the State Designated Agencies for the purpose of taking action under section 17 of the Act and enforcement of the orders passed under clause (b) of the said sub-regulation.
- (10) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (7), the Bureau under intimation to all State Designated Agencies, shall,-
- (a) withdraw the permission granted to the permittee under sub-regulation (1) of regulation 7;
- (b) send report to the Central Government accompanied by the test report in support of the failure by the permittee to conform to the energy performance standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act and the directions of the Bureau referred to in clause (a) of sub-regulation (8) for consideration and taking action under clause (c) of section 14 of the Act by the Central Government;

(c) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as it deems fit within two months; and

(d) intimate to the concerned State Designated Agencies to initiate further adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.

12. Cancellation of permission.—The Bureau shall cancel the permission granted under regulation 7, if the permittee –

(a) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;

(b) fails to pay label fee within the period specified under regulation 9;

(c) does not comply with the direction issued under regulation 11.

Provided that no permission shall be cancelled unless the permittee has been given an opportunity being heard in the matter

ABHAY BAKRE, Director General,

[ADVT.-III/4/Exty./521/2023-24]

FORM I – (A)

[See sub – regulation(2) of regulation 6]

(To be printed in Company letter head)

Application for registration of brand of washing machine under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of washing machine) Regulations, 2023

The Director General

Bureau of Energy Efficiency,

(Ministry of Power, Government of India) 4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector-I, R.K. Puram, New Delhi – 110 066 India.

I/We am/are the manufacturer/manufacturers of washing machine carrying out business at..... (full business address) under the style of (full name of individual or firm) hereby apply for permission to affix label on washing machine as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display of the Label on Washing Machine) Regulations, 2023.

The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility and payment is given in Annexure A-I. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies or Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

(a) Applicant/Authorised person: (Name and Designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm etc. and will be responsible for accuracy of the information supplied with this application.

(b) Contact person:.....(Name and designation) is authorised contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and use of the label.

(c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorized persons defined in (a) or (b) above.

3. Production and sale figures of the said equipment and the value there of to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	Maximum retail price of the equipment (Rs.)
Last year from..... to.....			
Current year from..... to..... (estimate)			

4. A label security fee of one lakh rupees or twenty-five thousand rupees (as the case may be).....has been paid by electronic mode.....dated..... (To be filled only at the time of submission of label security fee).

5. I/We agree to pay the labelling fee as specified by the Bureau.

6. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.

7. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

8. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated thisDay of(Year)

Signature.....

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

Annexure A-I

[See para 2 of Form I – (A)]

1. Details of the Company

Name of the company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
Enclosures to support registration:	Yes/No
(a) Document authenticating the name and address of the manufacturing or business premises	
(b) Trade mark certificate	
(c) Small scale industries Certificate, if applicable	
(d) Quality Management System Certificate	
(e) Authorised signatory letter	
(f) Bureau of Indian standards license, if applicable	
(g) payment receipt for payment is made online	

2. Details of the manufacturing premise (a separate table may be provided in case of more than one manufacturing facility)

Name of the manufacturing facility	
Address	
Pin code	
State / Country	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
Any other details (if any)	

Signature.....

Name.....

Designation.....

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

Seal of the Firm

FORM I- (B)

[See sub regulation (3) of regulation 6]

Application for permission to affix label on Washing Machine under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Washing Machine) Regulations, 2023.

The Director General

Bureau of Energy Efficiency

(Ministry of Power, Government of India)

4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector – 1, R.K.Puram

New Delhi-110066

India.

1. I/We are registered manufacturer of Washing Machine under the brand name.....(Name of the brand) and the unique label series code issued by Bureau of Energy Efficiency is

2. Manufacturing Facility: The above equipment is manufactured or imported by _____ (Name of the company) and is manufactured at _____ (Name and address of the factory)

3. Details of information: The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility, certification for the test products, labels and payment is given in Annexure. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies/Director of Industries (in case of Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing premises is enclosed.

(a) Applicant/authorized person: _____ (Name and Designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm/etc., and will be responsible for accuracy and authenticity of the information supplied with this application.

(b) Contact Person: _____ (Name and Designation) is the authorized contact person for coordination with the Bureau in respect of this application and the use of the Label.

(c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorised persons defined in (a) or (b) above

4. Conformance to Standards: I/We conform to the Bureau of Indian Standard/other international standards in respect of Quality System/Other standards in accordance with IS/Others (name and number of the standard) _____ as specified in the notification on _____ (title of the notification) for the _____ (name of the equipment). A copy of the License / certificate in respect of the above equipment is enclosed.

I/We have made arrangement for testing at our in-house laboratory (name and address where lab is located) _____ or at independent laboratory _____ (Name and address of the laboratory) which is accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories or any other International Laboratory Accreditation Cooperation for ensuring consistency in quality of the equipment as well as the scope of the relevant Indian Standard/ International Standard Organization /International Electrotechnical Commission standards as specified in S.O.

Laboratory details:

- a) Accreditation Board:
- b) Accreditation status:
 - (i) For Laboratory: (Yes/No)
 - (ii) For Test Standards: (Specify relevant product standard name / number)
 - (iii) For relevant test method (specify name of the test)

5. Production and sales figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows

Year	Production	Sales	MRP of the equipment (Rs.)
Last year from _____ to _____			
Current year from _____ to _____ (estimate)			

6. (a) An application fee of two thousand rupees....has been paid via electronic mode..... dated

(b) A Label security fee of one lakh rupees or twenty five thousand rupees _____ has been paid by electronic mode.

(c) I/We agree to pay the labeling fee as specified by the Bureau.

7. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/co-operation to the bureau in case of any enquiry to be made by it.

8. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.

9. I/We undertake that the information provided in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated thisday of (Year)

Yours Faithfully,

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

Annexure A-II**[See para 3 of Form I (B)]**

Details of Information

1. Product/Equipment Detail**1.1 General**

Manufacturer/Laboratory Name			
Address			
Date of Receipt (for Independent Labs)			
Test standard followed			
Test Report No.		Date of testing	
Tested by		Reviewed By	

1.2 Technical details

Brand Name		Model No.	
Model Name		Year of Manufacturer	
Washing machine type		Semi Auto/Top load/Front load	
		In-built heater present? (Yes/no)	
Serial No.		Wash/rinse programme followed	
Capacity (kg)		Wash performance (%)	
Rinse performance		Water consumption per cycle (L/kg)	
Remaining moisture content (RMC) (%)			

Energy consumption per cycle (kWh/kg/cycle) Cotton 30 ° C /Cotton 60 ° C	
Star Rating	

2. Details of the company

Name of the company:	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	
Name of the Authorized representative	

3. Details of the manufacturing premise

Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	
Any other details	
Name of the Authorized representative	

4. Details of test laboratory

Name of the test Laboratory	
Accreditation status (Attach copy of the accreditation certificate)	
Validity of the accreditation (Attach supporting document)	
Scope of Accreditation	
Address	
Pin Code	
State	
Phone No.	
Fax No.	
E-Mail	
Web site	


5. Labeling information

Date of commencement	
Number of labels applied for Bureau of Energy Efficiency for the first year - for the second year - for the third year -	
Product Serial No.	From _____ To _____

6. Payment details

	Total Amount	Details of Payment (electronic payment details)
Application Fee		
Security Deposit		

7. Specimen of the label to be affixed on the washing machine is shown below:



Date

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm) / SEAL OF FIRM

FORM II – (A)

[See regulation 7 (1) (a)]

Permission for registration of brand of washing machine under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Washing Machine) Regulations, 2023

New Delhi dated.....

To

.....

1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Washing Machine) Regulations, 2023, the Bureau hereby permits you to register your brand as per details of approvals set out in Annexure A-III to this letter.
2. This permission is subject to—
 - (a) the star level displayed on the label of the washing machine shall conform to energy performance standards for washing machine notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;

- (b) the stamping of the label only on such model of washing machine for which permission has been granted;
- (c) the label shall be affixed on the product washing machine and printed or affixed on the product packaging at the cost of the permittee;
- (d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the washing machine shall be maintained at all time;
- (e) the permittee shall pay the label fee as specified by the Bureau;
- (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of the production of the labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year and the same details shall be furnished to the Bureau also through an automated system;
- (g) the permittee shall make available such other details of washing machine as and when sought by the Bureau of which the permission has been granted.
3. The permittee shall not withdraw the registered brand and the washing machine from the market during the validity period except with the prior approval of the Bureau.
4. The unique label series code assigned by the Bureau of Energy Efficiency for the brand is..... and should appear on the label as per the approved design.
5. Signed, sealed and dated this..... day ofmonth....year.

Yours faithfully,

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

Annexure A-III

[See para 1 of Form II-(A)]

Details of Approvals

1. Details of the company

Name of the company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	

2. Name of the brand registered:

3. Unique series code:

4. Other details if applicable:

Date:

Yours faithfully,

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

FORM II (B)**[Sub-regulation 7(1)(b)]****Permission / renewal of permission to affix label on Washing Machine under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Washing Machine) Regulations, 2023**

New Delhi, dated the.....

To

.....

1. Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (**Particulars and Manner of their display on Labels of Washing Machine**) Regulations, 2023, the Bureau hereby permits you to stamp and print or affix label as per details of approvals set out in the Annexure A-IV to this letter.
2. This permission is subject to—
 - (a) the star level displayed on the label of the washing machine shall conform to energy performance standards for washing machine notified under clause (a) section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaid regulations;
 - (b) the label shall be affixed only on such model of washing machine for which permission has been granted;
 - (c) the label shall be printed and affixed on the washing machine at the cost of the permittee;
 - (d) the permittee shall ensure that the star level displayed on the washing machine shall be maintained at all time;
 - (e) the permittee shall pay the label fee of thirty rupees per label;
 - (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through automated systems;
 - (g) the permittee shall make available such other details of washing machine as and when sought by the Bureau for which the permission has been granted.
3. This permission shall be valid for from toand may be renewed as prescribed. The permittee shall not withdraw the washing machine from the market during the validity period of permission except with the prior approval of the Bureau.
4. The unique label series code assigned by Bureau of Energy Efficiency for the equipment is.....and should appear on the label as per the approved design.
5. Where the star level plans on review is modified by the Central Government, the star level of the washing machine shall stand modified as follows: -
 - (a) if new model is launched synchronizing with the revised star level, an application for such permission shall be made to Bureau six months in advance of the date from which new star level comes in to force;
 - (b) where the existing model is continued to give effect to the modified star level, only a declaration in Form IV shall be submitted to the Bureau.
6. Signed, sealed and dated this..... day ofmonth..... year.

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

Annexure**[See para 1 of Form II]**

Details of Approvals

1. Details of the Equipment

Equipment / Appliance
Type (Semi-automatic, top load, front load)
Model Name / Year of Manufacturing
Name of the manufacturer/Importer
Rated Capacity
Water Performance (Soil Removal %)
Water Extraction Performance
Rinse Performance
Program
In Built Heater
Energy Consumption per kg/cycle/program
Water Consumption per kg/cycle/program


SL. No.	Model Name/ No.	Measured values		Rated values	
		Capacity (kg)	Energy Consumption per kg per cycle	Capacity (kg)	Energy Consumption per kg per cycle

2. Label Details

Equipment	
Type	
Name of the make/manufacturer/importer	
Model Name/Year of Manufacturing	
Star level	
Rated Capacity	
Water Consumption per cycle/program	
Label period	

Energy Consumption (per kg per cycle)	
Country of Origin	
Unique Series Code	

3. Specimen of the label duly approved by Bureau to be affixed on the washing machine is shown below.



The unique label series code provided in the letter has to be mentioned in the label affixed on the Washing Machine.

4. The label design, size, colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureau's logo shall be as specified in the Schedule.

Date

Signature

Name.....

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

FORM III

[See sub-regulation (2) of regulation 7]

Register of Permittees to be maintained by Bureau of Energy Efficiency (template)

Sl. No.	Application No. and Date of Permission	Name and details of the permittee (Contact Person, Address, Pin Code, State, Phone No., Fax No., E-mail, Website)	Details of equipment for which the permission has been granted	Star level or Efficiency level declared	Bureau of Energy Efficiency permission number and unique label series	Period for which the permission has been granted
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Amount of Label Security Fee		Label Security Fee received by (Electronic transaction (Details): Date:)		Details of Application Fee Amount received (Electronic transaction (Details):Date:)		
(8)		(9)		(10)		

Total number of labels affixed during each financial year	Amount of labeling fee payable to Bureau of Energy Efficiency for each financial year	Labeling fee details received for each financial year (Electronic transaction Details): Date:)	Remarks
(11)	(12)	(13)	(14)

Form IV

[See sub-regulation (7) of regulation 7]

Declaration by Permittee seeking continuation of the permission to affix label on the existing model (For each different model, a separate letter shall be submitted along with respective Annexure)

(On the letter head of Corporate body/Permittee)

Date:**To**

**THE DIRECTOR GENERAL
BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
(MINISTRY OF POWER, GOVERNMENT OF INDIA)
4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
SECTOR 1, R.K.PURAM,
NEW DELHI-110066
INDIA.**

Sub: Application for permission to affix label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Washing Machine) Regulations, 2022 on revision of star level effective from

1. I/ We are the manufacturers / importers of washing machine carrying on business at [COMPANY NAME WITH FULL ADDRESS] under the style of [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] hereby apply for permission to affix label on washing machine as specified by the Bureau in the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Washing Machine) Regulations, 2023 which would go for revision of star level with effect from

2. The above equipment is manufactured or imported by [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] and is manufactured at (NAME AND ADDRESS OF FACTORY) or imported from (NAME AND ADDRESS OF IMPORTER)
3. Conformance to New Star level: I/We conform to the table change as per Table ... as specified in the notification number S.O. number.dated..... for washing machine. A copy of the Bureau's approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.
4. A copy of the Bureau of Energy Efficiency Label (as per revision of star level change) in respect of the washing machine is enclosed.
5. Details of the Equipment or Model as per revision of star level

Model Name - _____

Particulars	Declared Values	
Rated Capacity		
Water Consumption per cycle/program		
Energy Consumption per cycle	--	
Star Rating	(As per existing star level)	(As per the revised star level)

6. I/We agree to change the star level from [EXISTING STAR LABEL LEVEL] to [REVISED STAR LABEL LEVEL] in manual application as well as in the online web portal.
7. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for the said washing machine model.
8. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
9. I/we authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
10. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my/our knowledge, and should any of the information supplied is found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Date:

Day of (Year)

Signature

Name

Designation

For and on behalf of.....

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

FORM V

[See sub-regulation (6) of regulation 11]

Intimation to permittee to witness Challenge test/Second test

To New Delhi, dated the.....

.....

.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Washing Machine) Regulations, 2023 you were permitted to affix label on the washing machine vide Bureau of Energy Efficiency letter No.dated subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau, under regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Washing Machine) Regulations 2023, had purchased a Bureau of Energy Efficiency star labelled washing machine from your authorised distributor or dealer or retailer vide Invoice numberdated..... for a price of Rs..... and lifted as a sample dated ___ by ___ for the purpose of suo motu testing or challenge testing. The samples were purchased by M/s _____, an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under regulation 3 of the aforesaid regulations, affixed by you on the aforesaid purchased washing machine. The sample duly sealed by M/s..... bearing serial number----- was obtained from M/s.....(Name of the Distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorized representative of the verification agency.

3. The Bureau through its aforesaid verification agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s.---, a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 3, 4 and 5 of the notification number S.O....dated..... for giving test report in accordance with the Form given in Annexure to the notification number S.O.

4. The details of the product and the *suo motu* test results (if applicable) is enclosed with this letter. Now, therefore in pursuance of the provisions of sub-regulation (1) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Washing Machine) Regulations 2023, the Bureau is conducting *suo motu* test/challenge test (as applicable) on(date) at(Name of laboratory), accredited by National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories.

5. Pursuant to the provisions of sub-regulation (6) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Washing Machine Regulations 2023, the Bureau hereby intimates to -

(i) nominate an official to witness challenge test or second test on the above date specified along with an authorization letter indicating (in original) the name, designation and signature of the nominated official (the letter shall be duly signed and stamped by authorised signatory of the company).

(ii) deposit such cost towards procurement, transportation, testing and other incidental expenses as mentioned in Annexure, within fifteen days from the date of issuance of this letter (the expenses shall be deposited through electronic mode).

6. You may note that the Bureau shall continue the verification by challenge test or second test, even if the aforementioned expenses are not made in time or the officials are not nominated as specified and shall take further follow up action in the matter in terms of sub-regulation (7) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Washing Machine) Regulations 2023.

7. Signed, sealed and dated this..... day ofmonthyear.

(Secretary)
Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

- 1.Details of product/ *suo motu* test results
- 2.Annexure V(a)
- 3.Invoice related to the expenses

Annexure

[See para 5 of Form V]

Details of Information

1. Product or equipment details picked up for challenge test/second test

Brand name:	
Unique label series code:	
Model name/Model number:	
Type of washing machine:	
Wash Performance (Soil removal %):	
Wash Extraction Performance:	:
Rinse Performance:	
Program:	
In built Heater :	
Energy Consumption :	
Water Consumption:	
Year of Manufacturing:	
Star rating or star level:	

2. Amount to be deposited to the Bureau:

Details	Numbers/ expenses (in Indian Rupee)
Number of samples	
Cost per sample	
Total purchasing cost	
Total testing charges	
Transportation charges (if applicable)	
Others (if applicable)	
Total amount to be paid by the permittee	

3. Results of *suo moto* test (if applicable):

Brand	Model	Rated Capacity	Rated Energy Consumption per kg per cycle	Tested value of Energy Consumption per kg per cycle	Star rating (Declared)	Star rating (Check tested)	Remarks

Date

(Secretary)
Bureau of Energy Efficiency**FORM VI**

[See sub-regulation (7) of regulation 11]

Direction to Permittee on failure of second check testing

To

New Delhi, dated the.....

.....
.....
.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (**Particulars and Manner of their Display on Label of Washing Machine**) Regulations, 2023, you were permitted to affix label on the washing machine vide Bureau of Energy Efficiency letter No.dated..... subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

2. The Bureau, under Regulation ... of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Washing Machine) Regulations, 2023, had purchased a Bureau of Energy Efficiency star labelled washing machine from your authorised Distributor, dealer, retailer vide Invoice numberdated for a price of Rs..... and lifted as a sample datedby M/s....., an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under regulation 3 of the aforesaid regulations, affixed by you on the aforesaid purchased washing machine. The sample duly sealed by M/s..... bearing serial number.....was obtained from M/s.....(Name of the Distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorised representative of the verification Agency.

3. The Bureau through its aforesaid Verification Agency had transported the sample referred to in para 2 to M/s., a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 4 and 5 of S.O.numberdated the for giving Test Report in accordance with the Form ...given in Annexure to S.O.. number..... dated the

4. The results of the Test Report on the sample bearing Unique Identification serial number is enclosed. The results of the Test Report indicated that the sampled washing machine failed to meet the energy consumption test. and did not conform to the Test details furnished by you in Form 1 annexed to the Application submitted by you for seeking permission to affix label on the washing machine manufactured or imported by you. The Test Results were sent to you vide Bureau of Energy Efficiency letter No... dated.....in the name of your authorised Contact person. You were also requested to attend and witness the Second Check Verification Test of the samples at the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories Accredited Laboratory M/s.....

5.The Sample for second check verification Test were picked up dated the through our authorised Agency M/s.and transported to the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited Laboratory transported by our authorised Agency, duly sealed by M/s..... and was given Unique Identification serial number embossed on the said sample obtained fromunder signatures of the duly authorised representative of the verification Agency as well as your representatives.

6. The Test results of second check testing are enclosed which are dully checked and counter signed by the competent authorised personnel of the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories Accredited Laboratory. The test report is also duly signed by your authorised signatory as witness of 2nd check testing. The Test Results confirm that they failed to meet the requisite parameters and standards given in S.O.number dated, and the terms and conditions of the permission given to you for display of particulars on label affixed to the Washing Machine manufactured or imported and sold in the market .

7. Now, therefore in exercise of the power conferred clause (a) of sub-regulation (7) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Washing Machine) Regulations, 2023, the Bureau hereby directs to :-

- (i) correct the star level displayed on the label of the washing machine or remove the defects and deficiencies found during testing;

- (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
 (iii) change the particulars displayed on advertising material.

8. You are hereby directed to complete the aforesaid corrective action within two months from the date of issue of this letter and send the compliance report in Form VI within ten days after the expiry of two months i.e. by
 .In case no compliance report is received by the said date the Bureau shall proceed to take action in terms of clause (b) of sub-regulation (10) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Washing Machine) Regulations, 2023.

9. The Bureau shall take further follow up action in matter in terms of regulation (5), (6),(7) and (8) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Washing Machine) Regulation, 2023.

Secretary,
Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

1. Test reports of the failed model
2. Correspondence with the manufacturer

Form VII

[See sub-regulation (8) of regulation 11]

Action Taken Report

(To be furnished on the letter head of the organisation)

To
 THE SECRETARY,
 BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY
 (MINISTRY OF POWER, GOVERNMENT OF INDIA)
 4TH FLOOR, SEWA BHAWAN,
 SECTOR 1, R.K.PURAM,
 NEW DELHI-110066
 INDIA.

Dated.....

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Washing Machine) Regulations, 2023, we M/s.....the manufacturer of washing machine were permitted to affix label on the washing machine conforming to the energy consumption standard ofstar level vide Bureau of Energy Efficiency letter No.....dated.....for the model number.....

Pursuant to the provisions of sub-regulation (7) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Washing Machine) Regulations, 2023, we were given directions vide Bureau of Energy Efficiency letter number.....dated..... to take necessary corrective action. In the light of directive issued by Bureau of Energy Efficiency, we hereby declare that the following actions have been taken at our end.

	Action Directed	Status	Action Taken
(i)	Correct the star level displayed on the label of the washing machine to comply with the directions of the Bureau	Yes/No/NA	The star level has been corrected from.....star to.....star with effect from (Date)
(ii)	Withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau. and	Yes/No/NA	All the stocks from the market have been withdrawn to comply with the directions of the Bureau.
(iii)	Change the particulars displayed on advertising material.	Yes/No/NA	Yes/No/NA

The above declaration is true to the best of our knowledge and belief.

Signature.....
 Name.....
 Designation.....
 For and on behalf of.....
 Name of the Company/Firm etc
 Seal of the Firm/Company”.


SCHEDULE

[See sub-regulation (2) of regulation 3]


Particulars to be displayed on labels of Washing Machine.

(a) Label design, size, colour scheme and content of the label shall include:-

(i) the following dimensional design of label, namely:—



(ii) the following colour scheme for the label, namely:—




BLUE –

Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%
Luminance or lightness(L) :28, chromatic components -a:24 b:54
Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151
Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%
Web colour code - #363797

GREEN –

Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%, Luminance or lightness(L) :61, chromatic components -
a:-53 b:32, Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87
Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%, Web colour code - #00AA56;

(iii) following label to be affixed on washing machine:-



(2) Label Material

The label shall be of durable cardboard, if it is to be attached as a swing tag, or be self-adhesive and shall be cut to one of the outlines shown in dimension design scheme for the label”.